

सीमान्त पी, उक्त सत्रण में रिपोर्ट ली गयी मुताबिक पत्रकारी
 शिडो/ ICR नुबेरा की रिपोर्ट ली गयी मुताबिक ICR/ नुबेरा, Patwar
 शिडो रिपोर्ट अनुसार चड शिडो के जमा संवत् २०१३-१६ के खाता सं
 ३४/४४ में सार्थिया का नाम मोहिनी देवी पति ध्याराम दर्ज है जो कि शरण
 आदेश २०१९/५९ की पालना में दर्ज नामान्तरण सं ७३४/१०.५.२०२३ द्वारा
 दर्ज हुआ। तथा सार्थिया के दस्तावेज आधार हाई एवं पेन हाई में मोना देवी
 दर्ज है रिपोर्ट सरपंच नाम पंथायत नुबेरा द्वारा मोना देवी व मोहिनी देवी
 एक ही औरत का नाम होना बताया है। अतः मोहिनी देवी के स्थान पर मोना
 देवी दर्ज किया जाना उचित है।

6/6/23
 सरपंच (भूअंश)
 संगरिया

आदेश

प्रकरण-२५/२०२३

U/E 136 LRA

उक्त शरण रिपोर्ट में मोना देवी की
 दुबली वक्त के आदेश दिए जा रहे हैं।
 नरलमदा - रिपोर्ट में इनका का

6/6/23
 1520



उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया
 सन गांवों के संग अधिपति
 निधि प्रभारी (SDO)
 6/8/23